संख्या-86/2021/1391/सैंतीस-2-2021-1(43)/02

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 अगस्त, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-39/प0-1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/1/2021-22, दिनांक-28.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-79/2021/1197/सैंतीस-2-2021-1(43)/02, दिनांक-23.07.2021 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0-138.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न तालिका में क्रमांक-3 पर अंकित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव, सीतापुर (सूकर प्रजनन केन्द्र हेतु) के समक्ष मानक मद 02-मजदूरी में रू0-3.00 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-3.55 लाख की धनराशि अंकित हो गयी है। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक-23.07.2021 के साथ संलग्न तालिका में क्रमांक-3 पर अंकित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव, सीतापुर (सूकर प्रजनन केन्द्र हेतु) के समक्ष मानक मद 02-मजदूरी में अंकित धनराशि रू0-3.55 लाख के स्थान पर रू0-3.00 लाख पढ़ी जाये।

2- शासनादेश दिनांक-23.07.2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

पृ0सं0-86/2021/1391(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (प्रशासन एवं विकास/रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।